



2026:AHC:175469

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 8535 वर्ष 2026

सुनील साहनी उर्फ सरला

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : जीतेंद्र केशरवानी, संदीप कुमार यादव, सिद्धार्थ

निरंजन

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री जितेंद्र वादरवानी और राज्य की ओर से एजीए श्री आर.एन. श्रीवास्तव के तर्क सुने गये।
2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 360/2025 (धारा 103(1), 70(1) बीएनएस, थाना एम्स, ज़िला गोरखपुर) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में प्राथमिकी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो शिकायतकर्ता की लगभग 19 साल की बेटी की हत्या से संबंधित थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से आवेदक और दो अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उन्होंने आगे कहा कि वाद दैनिकी में विवेचनाधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सीसीटीवी फुटेज के अंश से पता चलता है कि घटना स्थल के पास, जहाँ मृतक का शव मिला था, एक सार्वजनिक सड़क है और उस सड़क पर आवेदक को दो अन्य लोगों के साथ देखा गया था।
5. उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक सड़क से गुज़र रहा है, तो केवल इस आधार पर उसे हत्या के मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता।
6. उन्होंने आगे कहा कि अभिलेख पर आवेदक के खिलाफ़ इस बात के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है कि मृतक का शव मिलने वाली जगह के पास आवेदक और दो अन्य लोगों की मौजूदगी पाई गई थी।
7. उन्होंने आगे कहा कि सभी तथ्यों पर विस्तार से विचार करने के बाद, सह-आरोपी लक्ष्मण साहनी उर्फ़ भकोले को इस न्यायालय ने आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 11702/2026 में 11.08.2026 के आदेश द्वारा ज़मानत पर रिहा कर दिया था, और आवेदक का मामला भी बिल्कुल वैसा ही है।
8. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में 18.09.2025 से, यानी लगभग एक साल से जेल में है।
9. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्क को चुनौती नहीं दे सके।
10. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने और मामले के अभिलेख को देखा।
11. यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है और प्राथमिकी में किसी का नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से आवेदक की संलिप्तता का पता चला, साथ ही दो अन्य लोगों की भी, जिनमें सह-आरोपी लक्ष्मण साहनी उर्फ़ भकोले शामिल हैं; इस न्यायालय ने एक विस्तृत आदेश के ज़रिए सह-आरोपी लक्ष्मण साहनी उर्फ़ भकोले को ज़मानत पर रिहा कर दिया है और आवेदक का मामला भी उसी के समान है।
12. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और मौजूदा मामले में वह 18.09.2025 से, यानी लगभग एक साल से जेल में है।
13. इसलिए, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक- **सुनील साहनी उर्फ सरला** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करने पर उक्त मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

16. यदि ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के लिए पक्षों द्वारा पेश किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और इन टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अगस्त 19, 2026

शाहरोज़